एनएचआरसी-जीएनएलयू नेशनल मूट कोर्ट स्पर्धा....

लखनऊ की डॉ.राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टीम विजेता

कैम्पस कॉर्नर

एनयूएएलएस कोची रही उप विजेता, देश के 76 लॉ कॉलेज व विश्वविद्यालयों की टीम ने की थी शिरकत

अहमदाबाद. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) एवं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को आयोजित नेशनल मूक अदालत (मूट कोर्ट) स्पर्धा में लखनऊ की डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की टीम विजेता रही। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (एनएयूएएलएस)-कोची की टीम ने उप विजेता रही।

इस स्पर्धा में देश के 76 लॉ कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया था। मूट कोर्ट का विषय 'स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकार एवं शरणार्थियों एवं प्रवासियों का तांता' रखा गया था। विजेता टीम को 50 हजार रुपए की नकदी और ट्रॉफी तथा प्रमाण-पत्र जबकि उप विजेता टीम को 25 हजार की नकदी, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

श्रेष्ठ लिखित दलील (सबमिशन्स) का अवार्ड पटना की चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की टीम ने अपने नाम किया। फाइनल स्पर्धा में प्रनिका मिश्रा को श्रेष्ठ वक्ता का खिताब दिया गया, वहीं प्रारंभिक स्पर्धा में श्रेष्ठ वक्ता का खिताब आनंद नंद कुमार ने अपने नाम किया। निर्णायक समिति में एनएचआरसी की सदस्य ज्योतिका कालरा, गुजरात उच्च न्यायालय की लोक अभियोजक मनीषा लवकुमार, एएमआईसीयूएस के प्राचार्य मुरली नीलकंठन, दिल्ली विवि की राजनीति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर नसरीन चौधरी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर श्रीनिवास बुर्रा शामिल थे।

एनएचआरसी की सदस्य ज्योतिका कालरा ने समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कानून को कोर्टरूम में सीखा जाता है, जहां उसकी प्रेक्टिस की जाती है वहीं मूट कोर्ट में विद्यार्थियों की भागीदारी उन्हें कोर्टरूम का अनुभव कराती है। इससे पहले इस स्पर्धा का शुभारंभ गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन.वी.अंजारिया ने किया। इस अवसर पर एनएचआरसी के रजिस्ट्रार जनरल जयदीप गोविंद, जीएनएलयू के निदेशक डॉ.शांता कुमार व अन्य उपस्थित थे।